

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1607/  
II-13-11/19

जबलपुर, दिनांक 29/3/2019

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 के आलोक में श्री सदाशिव जावडे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जमादार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 28/02/2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त तिथि को पात्रतानुसार 145 दिन के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही/-  
(सतीश चन्द्र राय)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/1608/  
II-13-11/19

जबलपुर, दिनांक 29/3/2019

प्रतिलिपि :-

- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/499/लेखा/2019 इंदौर, दिनांक 08/03/19 के संदर्भ में श्री सदाशिव जावडे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जमादार का गणना पत्रक एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

- रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- असि. रजिस्ट्रार, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

12/19  
(अजय पवार)  
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)  
26-3-19

\*\*\*\*\*